



कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर (छ.ग.)
Krishi Vigyan Kendra, Bijapur (C.G.)
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (C.G.)
पनारापारा बीजापुर (छ.ग.) पिन-494444
Phone no.: 07853-220199 E-mail: kvkbjp@gmail.com



क्र. / कृ.वि.के. / विज्ञापन / पत्र / 2020-21 /

बीजापुर, दिनांक: /07/2020

संविदा नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर (छ.ग.) में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर (छ.ग.) पिन नं.-494444 को संबोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 08.08.2020 सायंकाल 05.00 PM तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर (छ.ग.) जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे/खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रुपये प्रति माह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या			
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर)	25780/-	01	-	-	-
2	सहायक ग्रेड - I	20900/-	01	-	-	-
3	सहायक ग्रेड - II	18420/-	01	-	-	-
4	वाहन चालक	14200/-	01	-	-	-
5	भृत्य एवं समकक्ष	11360/-	01	-	01	-
						कुल 01

आवेदन की अंतिम तिथि: 08.08.2020

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएँ, आयु, चयन की प्रक्रिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर देखी जा सकती है।
01. शैक्षणिक अर्हता: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रबंधन मंडल द्वारा स्वीकृत गैर शैक्षणिक सेवा भर्ती विनियम, 2016 में उल्लेखित अनुसार होगी -

क्र	पदनाम एवं वेतनबैंड+ग्रेड पे	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1	प्रोग्राम असिस्टेंट (कम्प्यूटर)	कम्प्यूटर के क्षेत्र में दक्षता, केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मंडल/आयोग/प्राधिकरण या किसी शासकीय संस्था में अनुभव।
2	सहायक ग्रेड - I	सहायक ग्रेड - 1, सहायक ग्रेड -2 में केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मंडल/आयोग/प्राधिकरण या किसी शासकीय संस्था में अनुभव।
3	सहायक ग्रेड - II	सहायक ग्रेड -2 एवं सहायक ग्रेड -3 में केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मंडल/आयोग/प्राधिकरण या किसी शासकीय संस्था में अनुभव।
4	वाहन चालक	8 वीं उत्तीर्ण
5	भृत्य एवं समकक्ष	5 वीं उत्तीर्ण

नोट:- कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर):-

01. बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस या आई.टी.) की स्नातक उपाधि न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ या एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस या आई.टी.) की स्नाकोत्तर उपाधि या एम.सी.ए. की स्नाकोत्तर उपाधि 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा वेब एप्लीकेशन के विकास कार्य का न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव।
02. सहायक ग्रेड - I एवं सहायक ग्रेड - II के पदों पर सुगमता हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मंडल/आयोग/प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इस हेतु उच्च/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
03. सेवानिवृत्त कर्मचारी न मिलने पर इन पदों पर चयन के माध्यम से संविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता निम्नानुसार है:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्ष की डिप्लोमा प्रमाण पत्र।
3. कम्प्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी।

नियम एवं शर्तें :-

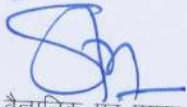
1. आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा, तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
3. विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र./स्था. - 04/नस्ती क्र.-114/2020/6414 दिनांक 20.02.2020 द्वारा संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिये गए स्कोर कार्ड के आधार पर किया जायेगा।
4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अ.ज. जा. एवं अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षण) नियम 2012 के अनुसार होगा।
5. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा।
6. नि: शक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 08.08.2020 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी।
11. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
12. सहायक ग्रेड - 1 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी।
13. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
14. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
15. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- एवं अ.जा./अज.जा. के अभ्यर्थियों को रु. 200/- का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर (छ.ग.) के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जावेगी।
16. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
17. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियाजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 01 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी। (02 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा)।
18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमति कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।
19. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमति भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
20. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मंडल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान के रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./डी.ए के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।
21. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।
22. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी।
23. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
24. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जावेंगे।

25. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
26. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
27. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखे।
28. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 05 रु. का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
29. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 20.08.2020 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर अपलोड की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
30. विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र./कृ.वि.के./विज्ञापन/पत्र/2020-21/ **234**
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कुलसचिव, इ.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.)।
2. निदेशक विस्तार सेवायें, इ.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.)।
3. निज सहायक, माननीय कुलपति, इ.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.)।
- ✓ 4. सर्वर प्रभारी, इ.गां.कृ.वि.वि.रायपुर (छ.ग.) www.igau.edu.in पर अपलोड करने बाबत।
5. लेखा एवं स्थापना शाखा, के.वी.के. बीजापुर (छ.ग.)।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
बीजापुर, दिनांक: **08**/07/2020


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र-बीजापुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

स्व प्रमाणित
हाल की
पासपोर्ट साईज
की फोटो चस्पा
करें ।

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक :

आवेदित पद का नाम एवं :

संविदा का निश्चित वेतन (रुपये प्रति माह) :

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी कैपिटल लेटर में)
02. पिता/पति का नाम
03. लिंग (महिला/पुरुष)
04. वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक
(विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर)
05. पति/पत्नी का नाम
06. विवाहित होने पर जीवित बच्चों की संख्या
07. 26.01.2001 को या उसके के पश्चात् जन्म
लिये बच्चों की संख्या
08. यदि निःशक्तता हैं तो निःशक्तता का प्रकार
09. निःशक्तता का प्रतिशत
10. जाति
11. संवर्ग (सामान्य/अपिबर्ग/अ.जा./अ.ज.जा.)
(आरक्षित वर्ग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न
करें)
12. छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र
13. जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में)
14. दिनांक को आयु
15. स्थाई पता
16. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (मोबाइल
क्रमांक एवं ई-मेल आई.डी. सहित)

1. दृष्टिबाधित

2. श्रवण बाधित

3. अस्थि बाधित

हाँ/नहीं (यदि हाँ तो संलग्न करें)

वर्ष माह दिन

17. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा / डिग्री	बोर्ड / वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्त प्रतिशत / ग्रेड	श्रेणी

18. अनुभव

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	अवधि

19. वर्तमान में कहीं कार्यरत हो तो कार्यालय का नाम एवं पदनाम (कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

.....

20. विश्वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. / एन. एस.एस., खेल-कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों (यदि हों तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

21. अन्य योग्यता :-

.....

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

- | | |
|-----|-----|
| 01. | 02. |
| 03. | 04. |
| 05. | 06. |

टीप:- जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अन्य प्रमाण-पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है । इनमें से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी । इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताये मेरा चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर